न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 141/2019(318/18)
GCMS NO. : 2018/00061

–:: प्रार्थीगण ::–

1. सोहनलाल पुत्र पाबूराम
2. रतनाराम पुत्र पाबूराम
3. पुरखराम पुत्र पाबूराम
4. बगादाराम पुत्र पाबूराम
5. रैंवतराम पुत्र पाबूराम
6. बादरराम पुत्र जोराराम
7. पांचाराम पुत्र जोराराम
8. बिदामी पत्नि जोराराम
9. भीकाराम पुत्र जगनाथ
10. दूदाराम पुत्र जगनाथ
11. भोलाराम पुत्र जगनाथ
12. पुनाराम पुत्र जगनाथ
13. पेमाराम पुत्र धन जी
14. केवलराम पुत्र धन जी
15. जगदीश पुत्र धन जी
16. बिदामी पत्नी मनीराम

सभी जातियान– बावरी निवासी– पाटवा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. मांगीलाल पुत्र सिरदार
2. फाउलाल पुत्र सिरदार
3. तेजाराम पुत्र सिरदार
4. जोगाराम पुत्र सिरदार
5. चम्पालाल पुत्र सिरदार
6. गीता पुत्री सिरदार
7. एसकी पत्नी नारायण
8. नेनाराम पुत्र चेनाराम
9. तहसीलदार, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 05/07/2018

उपस्थितः. 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री रुस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः 31/03/2021

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा पाटवा में सायलान एवं गैरसायलान संख्या 01 से 08 की पैतृक पुश्तैनी सयुंक्त खातेदारी के जमीन निम्न लिखित खसरान् की आइ हैः– खसरा नम्बर 472 रकबा 09–09 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 473 रकबा 08–11 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 609 रकबा 18–11 बीघा किस्म चाही चारण, खसरा नम्बर 612 रकबा 10–02 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 615 रकबा 00–15 बीघा किस्म गैरमुमकिन बैरा, खसरा नम्बर 1089 रकबा 22–17 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 616 रकबा 46–04 बीघा किस्म चाही चारम, उपरोक्त खसरान की भूमि पर सायलान व गैर सायलान संख्या एक से आठ संयुक्त [illegible] काश्त करते आ रहे है। सायलान व गैर सायलान के पिता व दादा के फौत होने पर [illegible] विरासत नामान्तरकरण के जरिए इनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया [illegible] लगातार सायलान व गैर सायलान अपने हिस्से अनुसार शामलाती काश्त करते आ रहे हैं। जमाबन्दी की [illegible] प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना [illegible]। सायलान व गैर सायलान संख्या एक से आठ सभी एक ही दंशज की सन्तान है जिसकी वंशावली बनाकर प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। उपरोक्त वंशावली अनुसार सायलान व गैर सायल संख्या– एक से आठ का

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.06.15 16:37:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

परिवार बड़ा होने से अब शामलाती काश्त नहीं कर सकते क्योकि हर बात को लेकर आपस में विवाद हो जाता है तथा जमीन शामलाती (संयुक्त) होने से बैंक से ऋण भी नहीं ले सकते और किसान कार्ड बनाने में भी बड़ी परेशानी रहती है। इसलिए जमीन का बाई मिटस एण्ड दाउण्ड से बंटवाड़ा करवा कर अपने अपने हिस्से की जमीन को खाद डालकर उपजाउ दनाना चाहते है। जब तक मुतनाजा जमीन का दाई मिटस एण्ड बाउण्ड से बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक जमीन का सुधार भी नहीं किया जा सकता हैं। वर्तमान समय में मुतनाजा जमीन चारों और से खुली पड़ी है, जिससे आवारा पशु व जंगली जानवर फसल को नुक्शान करते है, इसलिए बंटवाड़ा किये बिना अपने अपने हिस्से की जमीन के चारों और तारबन्दी नहीं हो सकती इसलिए बंटवाड़ा किया जाना जरूरी है कुछ जमीन सड़क के पास आई हुई है, जिससे जानवर पशु भेड, बकरिया आदि नुकशान करते है तथा नुक्शान को लेकर झगड़ा हो जाता है, बंटवाड़ा होने के बाद अपने अपने हिस्से की जमीन पर तारबन्दी करना चाहते हैं। सायलान द्वारा गैर सायलान को मुतनाजा जमीन का बाई मिटस एण्ड दाउण्ड से बंटवाड़ा करने के लिए पिछले तीन वर्षो से कहते आ रहे है और गैर सायलान कहते रहे कि बंटवाड़ा कर लेगे अभी दिनांक 7–6–2018 को सायलान ने गैर सायलान को कहा कि वर्षो होने वाली है और ग्राम पाटवा में राजस्व लोक अदालत भी है राजीनामा करके बंट्वाड़ा करवा लेते है, तब गैर सायलान ने साफ इन्कार कर दिया और ऐलानिया कहा कि हम किसी भी सूरत में बंटवाड़ा नहीं करगे और हम हमारी हिस्से की जमीन सड़क के पास लेकर फसल की बुवाई कर देगे तब सायलान ने ऐसा करने से मना किया तो गैर सायलान लड़ाई झगडा करने पर उतारु हो गये और ऐलानिया कहा कि सायलान सामना करेगे तो जान से खत्म कर देंगे और रात बिरात जमीन पर बुवाई कर देगे। गैर सायलान की नियत खराब है मुतनाजा जमीन में से अपने हिस्से की जमीन सड़क के पास जबरदस्ती बोना चाहते है, जबकि सड़क के पास की जमीन किमती होने से सायलान किसी भी सूरत में गैर सायलान को सड़क के पास कब्जा नहीं करने देगे जिससे मौके पर लड़ाई टन्टा होगा जिससे मल्टीप्लिसीटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी तथा सायलान अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगे और सायलान को असीम नुकशान होगा जिसकी क्षति पूर्ति गैर सायलान सूरत अदा नहीं कर सकेगे इसलिए मुतनाजा जमीन का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड से बंटवाड़ा किया जाकर खाता अलग अलग किया जावे और अपने अपने हिस्से माफिक राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया जाना जरूरी हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी सायलान की पेतृक पुश्तेनी संयुकत खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होने से प्रथम दृ ष्टिया केस सायलान के पक्ष में बहूत ही मजबूत है यदि गैर सायलान केवल मात्र लाठी के पर मुतनाजा जमीन में से अपने हिस्से की जमीन सड़क के पास जबरदस्ती बो देगे तो सायलान अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगे एवं सायलान को गैर सायलान के विरुद्ध विविध प्रकार के मुकदमें बाजी करने पड़ेंगे जिससे सायलान को असीम नुकशान होगी जिसकी क्षति पूर्ति गैर सायलान किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकेगे एवं मौके पर सायलान का अपने अपने हिस्से माफिक कब्जा काश्त की है, सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में बखुबी साबित है इसलिए गैर सायलान को सायलान के अपने अपने हिस्से जमीन पर काश्त करे या किसीह कब्जा करावे तो उसमें दखलन्दाजी, बाधा अवरोध आदि नहीं करे जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि मुतनाजा जमीन पर सायलान अपने अपने हिस्से की जमीन पर काश्त करे काश्त के मुतालिक कार्य करे तो गैर सायलान व उनके परिवार के सदस्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seervi
Date: 2021.06.15 16:37:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक
(फास्ट ट्रेक)

नौकर, चाकर, हाली, एजेन्ट आदि कोई रोक टोक नहीं करे जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा रोका जावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, सामिल मिसल है। गैरसायलान की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 का जवाब है कि इसमे वर्णित तथ्य कि खसरा संख्या 472 रकबा 09 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 473 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 609 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 612 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 615 रकबा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 1089 रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा, कुल रकबा 70 बीघा 05 बिस्वा व ख0नं0 616 रकबा 46 बीघा 4 बिस्वा उपरोक्त कृषि भूमि सायल एवं गैरसायलान् की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि होने का कथन सही होने से स्वीकार है। सायलान् संख्या 1 से 12 का उपरोक्त कृषि भूमि मे 1/6 हिस्सा व सायलान् संख्या 13, 14, 15, 16 व गैरसायलान् संख्या एक से छह व आठ का उपरोक्त कृषि भूमि मे 4/6 हिस्सा है। शेष तथ्य गत होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 02 मे वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। सायलान् द्वारा प्रस्तुत वंशावली अनुसार सायलान् हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वंशावली अनुसार जगनाथ के उताराधिकारी सायलान् संख्या एक से बारह का 1/6 हिस्सा है तथा गैरसायलान् संख्या 1 से 8 व सायलान् संख्या 13, 14, 15 का 4/6 व 16 का 1/6 हिस्सा है। इसी हिस्से अनुसार मौके पर कास्त करते है, शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या तीन का जवाब है कि इसमे वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या चार का जवाब है कि इसमे वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। गैरसायलान् दिनांक 07/06/2018 को बंटवारा करने से ना तो इंकार किया है ना ही सायलान् के उपरोक्त दिनांक को प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे वर्णित कृषि भूमि का बंटवाड़ा कराने का सायलान् को कहा है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या पांच का जबाब है कि इसमे वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। सायलान् एवं गैरसायलान् अपने अपने हिस्से पर अपने बाप दादाओ के समय से काबिज है तथा गैरसायलान् की जमीन के पास किसी प्रकार की कोई सडक निकली हुई नही है। सायलान् एवं गैरसायलान् अपने अपने हिस्से अनुसार रास्ते पर जमीने आयी हुई है। शेष तथ्य गलत होनें से अस्वीकार है। सायलान ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के गलत तथ्य प्रस्तुत किये है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र पेश कर निवेदन हैं कि सायलान् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावें

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.06.15 16:37:05 IST
Reason: SelfAttested

<u>*1. प्रथम दृष्टया मामला:-*</u> पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 08 की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त अविभाजित भूमि है। जमाबंदी संवत् 2074-2077, ग्राम- पाटवा से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। यह मान्य सिद्धांत हे कि प्रत्येक सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक हिस्से पर स्वत्व एवं कब्जा माना जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता

कि वादग्रस्त आराजी में केवल प्रार्थी के पक्ष में ही प्रथम दृष्ट्या मामला है। लिहाजा यह बिन्दू बखूबी साबित नहीं होता है।

2. सुविधा का संतुलन :- साधारणतया वादग्रस्त आराजी के वर्तमान उपभोग/उपयोग का लाभार्थी महत्वपूर्ण होता है। बिन्दू संख्या 01 के विवेचन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी सामलाती भूमि है। अतः ऐसी स्थिति में प्रत्येक सहखातेदार का अपने हिस्से में सुविधा का संतुलन निहित होता है। अतः सुविधा के संतुलन का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में निहित होना साबित नहीं होता है।

3. अपूरणीय क्षतिः- चुंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुए है। साथ ही चुंकि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण भी सहखातेदार है तथा प्रत्येक सहखातेदार को अपने खातेदारी अधिकार का उपयोग एवं उपभोग करनें का प्राथमिक अधिकार होता है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें से इन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से महरूम होना पड़ेगा। जिससे अपूरणीय क्षति अप्रार्थी को होना संभव है। अतः यह बिंदू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज़/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 31/03/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.06.15 16:37:05 IST
Reason: SelfAttested